कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 231/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 17.06.2026

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

लूट की घटना का सफल अनावरण: पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त घायलावस्था में गिरफ्तार, लूटी गई अपाचे मोटरसाइकिल व अवैध असलहा बरामद

घटना का विवरण-

दिनांक 18.05.2026 को रात्रि लगभग 21:00 बजे ग्राम रिठिया के पास 03 अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी भंजय सिंह की मोटरसाइकिल रोककर उनकी अपाचे मोटरसाइकिल एवं मोबाइल फोन लूट लिया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 227/2026, धारा 309(4) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई थी।

पुलिस मुठभेड़ एवं गिरफ्तारी-

दिनांक 17 जून 2026 की रात्रि में थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि लूट की घटना में शामिल अभियुक्त लूटी गई मोटरसाइकिल के साथ मदियापार की ओर से बहरादेव मंदिर की तरफ जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा खदेरूपट्टी के पास घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर अभियुक्त ने भागने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। घायल अभियुक्त की पहचान रवि मिश्रा पुत्र अनिल मिश्रा निवासी केदरुपुर, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अंबेडकरनगर, उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगी, जिसे तत्काल उपचार हेतु सीएचसी अतरौलिया भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

01. मु0अ0सं0-230/2026, धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. रवि मिश्रा पुत्र अनिल मिश्रा निवासी केदरुपुर, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अंबेडकरनगर, उम्र 22 वर्ष

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया —

01 अपाचे मोटरसाइकिल (लूट की घटना से संबंधित)

01 अवैध तमंचा .315 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस

01 अदद खोखा कारतूस

पूछताछ में खुलासा-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 18.05.2026 को रिठिया क्षेत्र में वादी की मोटरसाइकिल एवं मोबाइल फोन लूटने की घटना को अंजाम दिया था। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा प्रयास जारी हैं।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-162/25, धारा 115(2),352,351(3) बीएनएस थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अंबेडकरनगर।

02. मु0अ0सं0- 227/2026, धारा 309(4) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

03. मु0अ0सं0-230/2026, धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ दूबे थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ
2. उ0नि0 विश्राम गुप्ता थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ
3. उ0नि0 अभिषेक यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ
4. उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ
5. का0 मनीष यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ
6. का0 रणवीर वर्मा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ
7. रि0का0 अमन तिवारी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ
8. रि0का0 महेश पटेल थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ
9. रि0का0 अमित गिरी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ